न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक), जैतारण

(जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सीरवी, आर0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्या : 46/2018

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी
1. दिनेश पुत्र स्व. बंशीलाल		1. लीला पत्नि बंशीलाल
2. गीता पुत्री स्व. बंशीलाल		जाति–चौकीदार,
3. सहायता पुत्री बंशीलाल		निवासी–निम्बेड़ाखुर्द
वादीगण संख्या 02 व 03		2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
नाबालिग जरिये कुदरती वलिया बड़ा		अधिकारी, जैतारण
भाई दिनेश पुत्र बंशीलाल		तहसील–जैतारण, जिला–पाली
जाति–चौकिदार, निवासी–निम्बेडाखुर्द		
तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, तारीख रजू:.14/02/2018

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।

2. श्री महेन्द्र कुमार गुर्रा एवं श्री अशोक भारतीय, अधिवक्तागण, प्रति0।

–:: निर्णय ::– दिनॉकः– 07/05/2018

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा–निम्बेडाखुर्द, पटवार हल्का–टूंकड़ा, तहसील–जैतारण, जिला–पाली (राज.) में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कब्जे कास्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 12–01 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 4–11 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 19–19 बीघा, खसरा नम्बर 306 रकबा 8–16 बीघा कृषि भूमि सामलाती कब्जे काश्त की आई हुई है। जिसमें वादीगण का अपने पिता के हक हिस्सेनुसार हक हिस्सा चलता आ रहा है। वादीगण का नाम उनके पिताजी के फौतेदगी नामान्तरणकरण के बाद दर्ज किया गया जिसमें वादीगण संख्या 1 बालिग तथा वादीगण संख्या 2 व 3 पुत्रीयां हैं। जिनका सम्पूर्ण भरण पोषण आदि का ध्यान वादीगण संख्या एक दिनेश ही रखता चला आ रहा है। प्रतिवादीगण संख्या एक लीला जो कि मृतक बंशीलाल की पत्नी है तथा बंशीलाल के देहान्त के बाद ही नाबालिग संतान को छोडकर नाते चली गई है यानि कि अन्यत्र विवाह कर लिया जिसे करीब 15 वर्ष हो चुके है इस कारण से अब स्व. बंशीलाल की सम्पति में प्रतिवादीगण संख्या एक का कोई हक व अधिकार शेष नही रह जाता है। नकल जमाबंदी, आधार कार्ड वादपत्र के साथ पेश है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी जो कि वादीगण की पैतृक पुस्तैनी आराजी है जिससे इस विवादित आराजी में वादीगण के व अधिकार निहित है तथा वादीगण ही कास्त करते चले आ रहे है तथा उनके पिता के देहान्त के बाद उनकी माता लीलादेवी उन्हे छोडकर अन्यत्र विवाह कर इनसे पारिवारिक संबंध तोड दिये। इस कारण से उक्त सम्पति में प्रतिवादीगण संख्या एक का कोई हक अधिकार शेष नही रह जाता है। उक्त वर्णित विवादित आराजी के संबंध में वादीगण के सम्पूर्ण भरण पोषण इस आराजी से करते चले आ रहे है तथा वादीगण का भविष्य भी उक्त सम्पति पर ही निर्भर है तथा उक्त सम्पति पर भौतिक रूप से

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

कब्जा कास्त पैतृक पुश्तैनी सम्पति के रूप में वादीगण का ही चला आ रहा है। लेकिन वादीगण के पिता के देहान्त के समय फौतेदगी नामान्तरण करते समय तत्कालीन पटवारी आदि ने सही कब्जे की जांच किये बिना ही विधिक वारिसानों में प्रतिवादीगण संख्या 1 का नाम दर्ज कर दिया जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अन्यत्र विवाह कर अपना जीवन पति किसी अन्य को मानकर उसके साथ बतौर पत्नी के निवास रहवास करती है वक्त फौतेदगी नामान्तरण वादीगण नाबालिग थे तथा उनको ऐसे दस्तावेज की जानकारी नही थी लेकिन जब जानकारी होने पर वादीगण द्वारा पटवारी, तहसीलदार आदि के पास प्रतिवादीगण संख्या एक के नाम को राजस्व रेकर्ड से हटवाने बाबत् प्रार्थनापत्र पेश किया लेकिन किसी प्रकार की कार्यवाही हुई तथा न्यायालय से आदेश्ज्ञ करवाने का कथन किया। जिस कारण से एवं वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 के नाम की उक्त खसरान् भूमि में आई कृषि भूमि को अपने नाम की राजस्व रेकर्ड दर्ज करवाने के अधिकारी होने के कारण यह वादपत्र बाबत् घोषणा विरूद्व प्रतिवादीगण के श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। उपरोक्त वर्णित विवादित आराजी में वादीगण का हक अधिकार है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अन्य व्यक्ति के साथ विवाह कर लेने से उसके सम्पूर्ण हक अधिकार उक्त सम्पति से स्वतः ही निरस्त हो जाते है। वादीगण के पास उक्त सम्पति के अलावा अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति अपने भरण पोषण के अन्य कोई साधन नही है तथा उक्त सम्पति के पास ही वर्तमान में सिमेन्ट प्लान्ट अल्ट्राटेक नामक ईकाई की योजना शुरू होने के कारण प्रतिवादीगण संख्या 1 की नियतबद्व हो चुकी है जो बिना किसी हक अधिकार के मात्र अपने नाम होने का फायदा उठाते हुए वादीगण की उक्त सम्पति का सम्पूर्ण हिस्सा जरिये रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करने को आमादा है चूंकि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण नाबालिग दर्ज एवं कुदरती वलीया माता प्रतिवादीगण संख्या 1 दर्ज है अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 वाले उक्त सम्पति का बेचान रहन व बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर देती है तो वादीगण को असीम क्षति होगी तथा पैतृक पुश्तैनी सम्पति एवं अपने अधिकारों से महरूम होना पडेगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी। इसलिए वादीगण के हक अधिकारों के मध्य नजर रखते हुए बखुबी मामला वादीगण के पक्ष में प्रमाणित है। इसलिये यह प्रतिवादीगण संख्या 1 को उक्त सम्पति को रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण से रोके जाने के लिए यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण के सादर पेश है। वादीगण गरीब अनपढ है तथा इसका अनैतिक फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 भूमि को अपने नाम का होने का फायदा उठाते हुए बाले बाले किन्ही अजनबी क्रेता को जरिये रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर मौके पर खुर्द बुर्द करने व राजस्व रेकर्ड की वास्तविक स्थिति में फेरबदल करने को आमादा है तथा दिनांक 30/01/2018 को प्रतिवादीगण संख्या1 से वादीगण ने निवेदन किया कि उक्त सम्पति तहसील कार्यालय चलकर हमारे नाम करवा दो तो प्रतिवादीगण संख्या 1 स्पष्ट रूप से इन्कार करते हुए एलानिया कथन किया कि उक्त सम्पति मेरे नाम दर्ज है मै इसका बेचान कर दूँगी। तुम्हारें नाम नही करवाऊंगी अगर प्रतिवादीगण संख्या 1 ऐसा कर देती हैं, तो मौके पर विवाद होगा तथा मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिग्स् होगी। ऐसी विषम परिस्थितियों में वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण के सादर पेश है। प्रतिवादीगण संख्या 2 तहसीलदार एवं उप पंजीयन अधिकारी जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार हैं, जिनके विरूद्व वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व 02 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वादपत्र अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादीगण का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 80(2)

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

सीपीसी का वादपत्र के साथ संलग्न है। वादीगण संख्या 2 व 3 की मौखिक सहमति से उनके अधिकारों के तहत् वादी दिनेश को वादपत्र करने की सहमति जाहिर की है। बिनाय वाद दिनांक 30/01/2018 को प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा वादीगण को सम्पति को उसके अन्य विवाह करने के बाद उसके नाम की सम्पति को वादीगण के नाम करवाने एवं ऐसा राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा स्पष्ट रूप से मना करने एवं उक्त सम्पति अपने नाम होने से इसका जरिये रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण कर मौके पर कब्जा किसी अजनबी क्रेता को सुपुर्द करने का ऐलानिया कथन करने पर बमुकाम निम्बेडा खुर्द तहसील जैतारण जिला पाली राज. में पैदा हुआ जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में होने से अन्दर म्याद वाद पत्र पेश है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-टूंकड़ा में पेश हुई। दिनांक 30.04.2018 को प्रति. सं. 01 ने ईकबालिया जवाब दावा, एवं राजीनामा पेश किया, सामिल मिसल हों। वादीगण एवं प्रति0 सं. 01 ने मजमा-ए-आम में उपस्थित हुये एवं जाहिर किया कि हम आपस में राजी-बाजी हो गये हैं एवं जिसका लिखत राजीनामा दिनांक 30.04.2018 को पेश किया गया हैं, जिसे दस्दीक किया जाकर माफिक राजीनामा वादीगण को प्रतिवादी सं. 01 के हिस्से की भूमि में खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। राजीनामा में जाहिर किया गया कि उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 लीला के नाम से हक हिस्सा निहित हैं लेकिन प्रतिवादी सं. 01 लीला कही अन्यत्र विवाह कर लेने के कारण उक्त आराजी में किसी प्रकार का कोई हक हिस्सा अधिकार नही रखना चाहती हैं। अपने हक हिस्से को वादीगण के पक्ष में त्याग कर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित करने का राजीनामा मुझ प्रतिवादिया एवं वादीगण के मध्य हो चुका हैं, माफिक वादपत्र एवं राजीनामा वादीगण के पक्ष में वाद डिक्री फरमावें। आद जांच राजीनामा पृथक से तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। उपस्थित वकुलाय ने भी माफिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने की इस्तदूआं की।

पत्रावली मय दस्तावेजात, शपथ-पत्र एवं राजीनामा पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण को माफिक राजीनामा प्रतिवादी सं. 01 के हक हिस्से में खातेदार कश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादी संख्या 01 का नाम उक्त आराजी से हटाया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक राजीनामा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा-निम्बेडाखुर्द, पटवार हल्का-टूंकड़ा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज.) में वादीगण की पैतृक पुश्तैनी कब्जे कास्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 109 रकबा 12-01 बीघा, खसरा नम्बर 340 रकबा 4-11 बीघा, खसरा नम्बर 302 रकबा 19-19 बीघा, खसरा नम्बर 306 रकबा 8-16 बीघा की भूमि में वादीगण को प्रतिवादी सं. 01 के हक हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। प्रतिवादी संख्या 01 का नाम उक्त आराजी से हटाया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
(फास्ट ट्रेक), जैतारण

Scanned by CamScanner

किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फॉरेस्ट ट्रैक), जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 07/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र टूंकड़ा में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्ड नायक
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फॉरेस्ट ट्रैक), जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner